राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3137/2023	नन्द किशोर सैनी	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण), कोटा, राजस्थान।
2.	3138/2023	देवकरण	1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. महानिदेशक पुलिस, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर। 3. पुलिस अधीक्षक, जिला टोंक, राजस्थान।

आदेश की दिनांक : 19.06.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश स्वामी, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 3137/2023 नन्द किशोर सैनी की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.01.1992 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम 2008 और 2017 के अनुसार अपीलार्थी 19.09.2017 को 09 वर्ष की सेवाएँ पूरी करने पर प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी के लिए पात्र हो गया। लेकिन उनके चयनित वेतनमान/एसीपी को भी तीन साल के लिए स्थगित कर दिया गया है क्योंकि उसने दिनांक 01.06.2002 के बाद दो से अधिक बच्चों को जन्म दिया है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 19.10.2020 (अनुलग्नक–1) द्वारा तीन साल की स्थगित अवधि पूरी होने पर दिनांक 19.09.2017 के बजाय दिनांक 01.07.2020 से पहला चयनित वेतनमान/एसीपी प्रदान किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 17.09.2008 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित आदेश दिनांक 25.01.1992 के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर नहीं होने या सीमित होने के कारण वित्तीय ठहराव की समस्या से

राहत दिलाने हेतु योजना लागू की गई। योजना के अनुसार कर्मचारियों को उनके पूरे सेवा कार्यकाल में 09, 18 एवं 27 वर्ष की सेवाएं सफलतापूर्वक पूरा करने पर पदोन्नति के बदले में तीन वित्तीय स्थिरताएँ उपलब्ध कराई गईं। 09, 18 एवं 27 वर्ष की अवधि उनकी प्रथम नियुक्ति की तारीख से गिनी जानी थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 20.08.2020 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता परीक्षा में भाग लेने से तीन वर्ष अर्थात वर्ष 2017–18 से 2019–20 तक के लिए इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया गया कि दिनांक 01.06.2002 को या उसके बाद अपीलार्थी के बच्चों की संख्या दो से अधिक रही है। अपीलार्थी नियमानुसार 9 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर 19.09.2017 को प्रथम चयनित वेतनमान हेतु पात्र हो गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति को 5 वर्ष के लिए स्थगित करना एवं साथ ही एसीपी की स्वीकृति को रोकना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पर्बत सिंह बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय के विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 10159/2015 परबत सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2023 अनुलग्नक–4 पर उपलब्ध है। इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चों को जन्म देने के आधार पर एसीपी को स्थगित कर दण्डात्मक कार्यवाही की है। इसी आाधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग कोई अन्य विपरीत कार्यवाही नहीं कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट संख्या 1024/2018 श्रीराम बारूपाल एंव अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.11.2021 (अनुलग्नक–5) द्वारा इसी अनुरूप फैसला सुनाया गया। माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 5892/2022 अजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.05.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में अपील का निर्णय प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश के साथ दिया कि अपीलार्थी को 18 वर्ष की एसीपी से तीन वर्ष तक वंचित नहीं किया जाना चाहिए तथा दिनांक 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर अपीलार्थी को 05 वर्ष के लिए पदोन्नति स्थगन की सजा पहले ही दी जा चुकी है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 13.10.2023 (अनुलग्नक–7) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 01.06.2002 को या उसके बाद 03 से अधिक बच्चे होने के कारण प्रथम एसीपी का लाभ 3 वर्ष के लिए स्थगित नहीं किया जावे क्योंकि अपीलार्थी को पदोन्नति इसी आधार पर 3 वर्ष के लिए स्थगित की जा चुकी है परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में अपीलार्थी को प्रथम एसीपी व पदोन्नति में संशोधन किया जावे। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 19.10.2020 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी दो से अधिक बच्चों के संतान होने के कारण पदोन्नति एवं एसीपी को स्थगित नहीं किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से दोनों अपीलों में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जवाब बंद कर बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.06.2002 के पश्चात दो से ज्यादा संतान होने के आधार पर 3 साल के लिए एसीपी की स्वीकृति स्थगित करने एवं 3 साल तक पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने से रोकने के दोहरे दण्ड के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी श्री देवकरण की एसीपी 3 वर्ष के लिए स्थगित की गई है एवं पदोन्नति परीक्षा में भाग लेने हेतु 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। अपीलार्थी ने अपने तर्को के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। एसबीसीडब्ल्यू पिटीसन संख्या 1024/2018 श्री राम बारूपाल बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2021 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अन्य प्रकरण सिविल रिट (सी. डब्ल्यू.) संख्या 101592015 में पारित निर्णय 29.11.2016 के आधार पर निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया हैः–

> "In the case of Parbat Singh (supra), a coordinate Bench of this Court considering the above aspect, came to the following conclusion:-
>
> "Though the said circular does not speak about the deference of ACP on account of birth of third child after the cut off date but parity is sought to be drawn by the respondents in grant of ACP and promotion as being analogous actions. If a person is given the benefit of ACP rather than the benefit of promotion, both would have the same financial implication. Indisputably the petitioner has been inflicted with one punitive action of deferment of ACP for a period of 5 years because of the fact that he fathered a third child after 1.6.2002. Having been penalised in this manner once, by no means, the respondents could have inflicted another adversity on the petitioner for the same cause by denying him opportunity to join on the promotional post. Furthermore, the restriction which is Imposed in the circular dated 20.6.2001 is to the effect that a Government employee shall be deferred by 5 recruitment years for promotion from the date to which promotion becomes due if he/she has more than two children on or after 1.6.2002. Thus, the restriction is on the consideration for promotion,"
>
> The Court clearly opined that the respondents having inflicted one punitive action of deferment of ACP for a period of 5 years because of the fact that the employee fathered a third child after 13.08.2004 and having

been penalised, by no means, the respondents could have inflicted another adversity on the petitioner for the same cause.

In that view of the matter, the issue raised by the petitioner is squarely covered by the judgment in the case of Parbat Singh (supra).

So far as the submissions made by learned counsel for the respondents regarding taking action under two different orders is concerned, the mere fact that two different orders dealing with promotion as well as ACP are in existence, does not mean the same has to be applied to the same employee..

The deferment of either promotion or ACP, as the case may be, is required to be applied to the subject employee, however, both the circulars cannot be applied to the same employee, for the same cause.

In view of the above discussion, the petition filed by the petitioners is allowed."

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि जहां एक आदेश/परिपत्र से अपीलार्थी को दण्डित किया जा चुका है, वहां दूसरे आदेश के आधार पर अपीलार्थी को उसी कारण के आधार पर दण्डित किया जाना उचित नहीं है। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी को 01.06.2002 के पश्चात 2 से अधिक संतान होने की दशा में 3 वर्ष तक पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा के लिए वंचित रखा गया है, पर अपीलार्थी को उसी कारण के आधार पर 3 वर्षों तक एसीपी का लाभ दिये जाने पर रोक लगाई जाना या स्थगित किया जाना उचित नहीं है।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 द्वारा 01.06.2002 के पश्चात दो से ज्यादा सतांन की दशा में पदोन्नति को स्थगित किए जाने के संबंध में जारी पूर्व नियमों को संशोधित कर पदोन्नति नहीं करने संबंधी प्रावधान को हटा दिया है। इस अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है।

"The person who had not been considered for promotion upto the year 2019-2020 because he/she had more than two children on or after 1 June 2002 shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion was due and on such promotion his/her pay shall be refixed at the pay which he/she would have drawn but no arrear shall be paid and if any person who has more than two children on or after 1" June, 2002 and his promotion becomes due in the year 2020-2021 or thereafter shall be considered for promotion from the date on which his/her promotion becomes due and his/her pay shall be fixed for the promotional post, but he /she shall be entitled for annual increment notionally for three subsequent years and after such three years he/she shall be allowed actual benefits of such increments, however no arrears shall be paid for such notional

increments. There shall be no consequential effect on subsequent promotions of the person promoted as per provisions of this sub-rule. The person already promoted shall not be reverted due to implementation of this sub-rule:"

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी श्री नन्दकिशोर सैनी के संबंध में आदेश दिनांक 19.10.2020 जिसके द्वारा उसकी प्रथम एसीपी को 3 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है एवं अपीलार्थी श्री देवकरण के संबंध में जारी आदेश दिनांक 04.08.2023 जिसके द्वारा उसकी 18 वर्षीय सेवा पर देय द्वितीय एसीपी को 3 वर्ष के लिए स्थगित किया गया है, अपीलार्थीगण के हद तक अपास्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को देय एसीपी के लाभ को स्थगित नहीं किया जाकर नियत तिथी से स्वीकृत किया जावे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नवीन प्रावधान के अनुसार यदि अपीलार्थीगण को पदोन्नति उच्चतर पद की 9 व 18 वर्ष के भीतर जैसी भी दशा हो, हो जाती है तो उस दशा में यदि स्वीकृत की गई एसीपी में किसी तरह के संशोधन करने की जरूरत पड़े तो उसके लिए प्रत्यर्थी विभाग स्वंतत्र होगा।

प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थीगण को एसीपी स्वीकृत करने की कार्यवाही निर्णय से 3 माह के भीतर की जाकर अपीलार्थी को देय परिलाभों का भुगतान किया जावे।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3137/2023 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपील की पत्रावली में संलग्न की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)